राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में बसों की सप्लाई के लिए अनुबंध हेतु टेंडर

टेंडर दस्तावेज का मूल्य : रू.500/–

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में बसों की सप्लाई के लिए अनुबंध के लिए टेंडर नोटिस

राष्ट्रीय बाल भवन को बच्चों एवं स्टाफ की कार्यालयी आवश्यकताओं के लिए (क) मासिक आधार पर एवं (ख) दिन–दैनिक (आकस्मिक/कैज्युअल डयूटीज के लिए) न्यूनतम रेट के आधार पर **एक वर्ष** की अवधि के लिए 52 एवं 32 सीटर बसों की सप्लाई के लिए उन रजिस्टर्ड एवं प्रतिष्ठित फर्मों से लिफाफाबंद/सील्ड टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं जिन्हें केन्द्रीय/राज्य सरकार/अर्ध–सरकारी/पी.एस.यूज.एवं प्रतिष्ठित एवं प्रख्यात कार्यालयों एवं संस्थानों मे बसों की सप्लाई का तीन वर्ष का अनुभव हो**(कृपया सम्बन्धित कार्यालय से जारी केवल ''संतोषजनक कार्य/प्रदर्शन प्रमाणपत्र'' ही लगायें)**। सम्पूर्ण टेंडर दस्तावेज रा.बा.भ. की वेबसाईट– **www.nationalbalbhavan.nic.in** पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। सील्ड टेंडर पर पूरी तरह पृष्ठ संख्या लिखी होनी चाहिए और साथ में रू.25,000/– रा.बा.भ. के बैंक एकाउंट में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के द्वारा जमा कराने के विवरण सहित राष्ट्रीय बाल भवन के मुख्य द्वार पर रखे टेंडर बॉक्स में सभी कार्यदिवसों एवं छुट्टी के दिनों में डालने जाने चाहिए। टेंडर जमा कराने एवं टेंडर खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का विवरण निम्नलिखित है :–

मुख्य द्वार पर स्थित टेंडर बॉक्स में सील्ड टेंडर डालने की अंतिम तिथि एवं समय और ई.एम.डी. राशि के जमा करने की विधि	रा.बा.भ. के सम्मेलन कक्ष में सील्ड टेंडर और तकनीकी बिड्स खोलने की तिथि एवं समय	रा.बा.भ. के सम्मेलन कक्ष में वित्तीय बिड्स खोलने की तिथि एवं समय
दिनांक 15.03.2019 को प्रातः 11.00 बजे तक	दिनांक 15.03.2019 को प्रातः 11.30 बजे	यह तकनीकी बिड्स की जांच के बाद तकनीकी रूप से सफल रूप से टेंडर जमाकर्ताओं को सूचित की जायेगी।
प्रत्येक टेंडर दस्तावेज का मूल्य	**रू.500/–(रूपये पांच सौ केवल)** जो राष्ट्रीय बाल भवन के बैंक एकाउंट में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा जमा की जायेगी जिसका यू.टी.आर./संदर्भ संख्या का विवरण टेंडर की तकनीकी बिड में देना होगा और टेंडर खोलने के समय भी उपलब्ध कराना होगा।	
ई.एम.डी की राशि जो राष्ट्रीय बाल भवन के बैंक एकाउंट में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा जमा की जायेगी जिसका यू.टी.आर./संदर्भ संख्या का विवरण टेंडर की तकनीकी बिड में देना होगा और टेंडर खोलने के समय भी उपलब्ध कराना होगा।	प्रतिभूति राशि(**Amount of Performance Security**) जो राष्ट्रीय बाल भवन के बैंक एकाउंट में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा केवल सफल टेंडरर द्वारा अनुबंध के अवार्ड पत्र जारी होने के बाद जमा की जायेगी जिसका यू.टी.आर./संदर्भ संख्या उपलब्ध कराना होगा।	
रू.25,000/–(रूपये पच्चीस हजार केवल) (कृपया यू.टी.आर./संदर्भ संख्या का उल्लेख टेंडर में देनी होगी और टेंडर)	रू.50,000/–(रूपये पचास हजार केवल) (यू.टी.आर./संदर्भ संख्या का विवरण देना होगा।)	
एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा राशि जमा करने के लिए राष्ट्रीय बाल भवन के बैंक एकाउंट का विवरण	भ केनरा बैंक, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002. बैंक एकाउंट नं.–0158101019047 (आई.एफ.एस.सी. कोड– CNRB0000158)	

टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि व समय के बाद प्राप्त हुये टेंडर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। टेंडर सील्ड लिफाफे में जिसपर स्पष्ट रूप से **''बसों की सप्लाई के लिए टेंडर''** लिखा होना चाहिए जमा करना चाहिए। टेंडर जमाकर्त्ता को स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसके पास फर्म के मालिक द्वारा हस्ताक्षित प्राधिकार पत्र जिसमें प्राधिकृत प्रतिनिधि की पहचान व हस्ताक्षर भी सत्यापित की गई हो, के साथ निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर टेंडर खुलने के समय होना चाहिए। राष्ट्रीय बाल भवन को किसी भी या सभी टेंडरों को बिना कोई नोटिस/कारण बताये रद्द का अधिकार है।

(निदेशक, रा.बा.भ.)

राष्ट्रीय बाल भवन **संलग्नक –1**
कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002

बसों की सप्लाई के लिए टेंडर के नियम, शर्तें एवं प्रतिबंध।

1. राष्ट्रीय बाल भवन को बच्चों एवं स्टाफ की कार्यालयी आवश्यकताओं के लिए (क) मासिक आधार पर एवं (ख) दिन–दैनिक (आकस्मिक/कैज्युअल डयूटीज के लिए) न्यूनतम रेट के आधार पर **एक वर्ष** की अवधि के लिए 52 एवं 32 सीटर बसों की सप्लाई के लिए उन रजिस्टर्ड एवं प्रतिष्ठित फर्मों से लिफाफाबंद/सील्ड टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं जिन्हें केन्द्रीय/राज्य सरकार/अर्ध–सरकारी/पी.एस.यूज.एवं प्रतिष्ठित एवं प्रख्यात कार्यालयों एवं संस्थानों मे बसों की सप्लाई का तीन वर्ष का अनुभव हो**(कृपया सम्बन्धित कार्यालय से जारी केवल ''संतोषजनक कार्य/प्रदर्शन प्रमाणपत्र'' ही लगायें)**।
सम्पूर्ण टेंडर दस्तावेज रा.बा.भ. की वेबसाईट– **www.nationalbalbhavan.nic.in** पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। सील्ड टेंडर पर पूरी तरह पृष्ठ संख्या लिखी होनी चाहिए और साथ में रू.25,000/– रा.बा.भ. के बैंक एकाउंट में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के द्वारा जमा कराने के विवरण सहित राष्ट्रीय बाल भवन के मुख्य द्वार पर रखे टेंडर बॉक्स में सभी कार्यदिवसों एवं छुट्टी के दिनों में उपर्लिखित कार्यदिवसों व छुट्टी के दिनों मे डाले जा सकते हैं।

2. सफल बोलीदाता के चयन की विधि : सफल बोलीदाता का चयन बसों के लिए (क) मासिक आधार पर एवं (ख) दिन–दैनिक (आकस्मिक/कैज्युअल डयूटीज के लिए) पर दिये गय न्यूनतम रेट के आधार पर किया जायेगा।

3. अनुबंध की अवधि : राष्ट्रीय बाल भवन को बसें उपलब्ध कराने के अनुबंध की अवधि अवार्ड पत्र जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की होगी जिसे अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई अच्छी बस सेवा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

4. जमानत/ई.एम.डी. : टेंडरजमाकर्त्ता को टेंडर जमा करने के लिए रू.25,000/–(रूपये पच्चीस हजार केवल) की जमानत/ई.एम.डी राशि राष्ट्रीय बाल भवन के बैंक एकाउंट में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा जमा करनी होगी और उसका यू.टी.आर./संदर्भ संख्या टेंडर के सम्बन्धित कॉलम में देना होगा और यही विवरण टेंडर खोलने के समय उपलब्ध कराना होगा। असफल टेंडरजमाकर्त्ताओं को ई.एम.डी. राशि वापस कर दी जायेगी।

5. प्रतिभूति सुरक्षा जमा राशि : सफल टेंडरजमाकर्त्ता को को बसों की सप्लाई के लिए अवार्ड पत्र जारी होने पर रू. 50,000/–(रूपये पचास हजार केवल) की प्रतिभूति सुरक्षा जमा राशि राष्ट्रीय बाल भवन के बैंक एकाउंट में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा जमा करनी होगी और उसका यू.टी.आर./संदर्भ संख्या का विवरण राष्ट्रीय बाल भवन को देना होगा। टेंडर के किसी भी नियम, शर्त एवं प्रतिबंध का पालन न करने और समुचित व सुचारू बस सेवा उपलब्ध न करा पाने पर प्रतिभूति सुरक्षा जमा राशि जब्त भी की जा सकती है और अनुबंध समाप्त भी समाप्त किया जा सकता है। जब्त की गई प्रतिभूति सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

6. टेंडर दस्तावेज का प्रत्येक पृष्ठ टेंडरजमाकर्त्ता या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा टेंडर जमा करते समय पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित एवं मोहर लगा होना चाहिए जिसके बिना टेंडर स्वीकार नहीं किया जायेगा और ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जायेगी। सभी टेंडर डाक द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त होने चाहिए। डाक द्वारा टेंडर प्राप्ति में हुई देरी के लिए राष्ट्रीय बाल भवन जिम्मेदार नहीं होगा।

7. टेंडर में बसों के मासिक आधार पर रेट उद्धत करते समय टेंडरजमाकर्ता को अपनी बिना किसी शर्त लगाये निशर्त रेट जिसमें सभी टैक्स, टोल टैक्स और लेडी वालिंटर्स को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक को सम्मिलित करते हुय उद्धित करने चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय बाल भवन किसी भी टैक्स, टोल टैक्स और लेडी वालिंटर्स को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान बस ऑपरेटर को नहीं करेगा। ग्रीष्मकालीन सत्र/छुट्टियों में मासिक आधार पर बसें चलाते समय बसों में लेडी वालिंटर्स को रखने व नियुक्त करने की पूरी तरह से एकमात्र जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी। मासिक या दिन–देनिक आधार पर बसों के उद्धत/वर्णित रेट सभी उपभोग्य सामग्री व सी.एन.जी. के खर्च सहित होने चाहिए।

8. राष्ट्रीय बाल भवन और जवाहर बाल भवन–मांडी के बच्चों को दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर आने जाने के लिए दिन–दैनिक (आकस्मिक / कैज्युअल डयूटीज के लिए) आधार पर भी आवश्यकतानुसार पूरे वर्ष बसें उपलब्ध करानी होगी जिसके लिए समुचित रेट दिये जाने चाहिए। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा कोई डेड माईलेज नही दिया जायेगा। मई–जून महीनों के लिए अस्थाई बस रूट्स पहले से ही राष्ट्रीय बाल भवन की वेबसाईट– **nationalbalbhavan.nic.in** पर अपलोड किये हुये हैं। बस रूट्स वास्तविक आवश्यकता और बच्चों की प्रवेश संख्या के अनुसार परिवर्तित किये जा सकते हैं।

9. राष्ट्रीय बाल भवन को उपलब्ध कराई जाने वाली सभी व प्रत्येक बस में निम्नलिखित आवश्यक रूप से होने चाहिए :–

क्रम सं.	प्रत्येक बस की अनिवार्य आवश्यकता	अनिवार्य आवश्यकता का विवरण	सामान्य आवश्यकता और पैनल्टी
1.	ड्राईवर–एक पुरूष	ड्राईवर को हमेशा समुचित यूनिफॉर्म में रहना होगा और उसके पास हमेशा वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाईसेस और मोबाईल फोन होना चाहिए। ड्राईवर को हमेशा अनुशासित, आज्ञाकारी और अच्छे व्यवहार एवं आचरण वाला होना चाहिए। ड्राईवर को बस ड्राइविंग का कम से कम **तीन वर्ष का अनुभव** होना चाहिए।	Complete Police Verification Report, photo, address and mobile no. of each person to be provided to the NBB by the L-1 Bus Contractor at the time of award/allotment of contract providing Buses. **If, conductor and/or Female Volunteer is not provided by the contractor in any day or time, the <u>PENALTY</u> at the rate of <u>Rs. 500/- each person and each occassion</u> will be deducted from the bill of contractor** बस ऑपरेटर अनुबंधकर्ता को राष्ट्रीय बाल भवन की डयूटी के लिए उपलब्ध किये जाने वाले अपने प्रत्येक कर्मचारी का मोबाईल नम्बर, फोटो, निवास का पता सम्पूर्ण पुलिस वरिफिकेशन रिपोर्ट के सहित राष्ट्रीय बाल भवन को बसों का अनुबंध व अवार्ड प्राप्त करते समय उपलब्ध कराना होगा। **यदि किसी दिन व समय बस कंडक्टर या महिला वॉलिंटर उपलब्ध नहीं कराने पर <u>हर बार प्रति व्यक्ति रू.500 / – का जुर्माना</u> बस अनुबंधकर्ता के बिल में से काटा जायेगा।**
2.	बस कंडक्टर–एक पुरूष	बस कंडक्टर को हमेशा समुचित यूनिफॉर्म में रहना होगा। बस कंडक्टर 18 वर्ष से उपर की आयु का और हमेशा अनुशासित, आज्ञाकारी, अच्छे व्यवहार एवं आचरण वाला होना चाहिए।	
3.	महिला वॉलिंटर –एक	प्रत्येक बस में सदस्य बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महिला वॉलिंटर एक समुचित परिचय पत्र / आईडेंटिटी कार्ड सहित होनी चाहिए।	
4.	अग्निशमन यंत्र / फायर एक्टिंग्विशर	पूरी तरह भरा हुआ अग्निशमन यंत्र / फायर एक्टिंग्विशर हमेशा बस में डयूटी के दौरान उपलब्ध रहना चाहिए।	
5.	फर्स्ट एड मेडिकल बॉक्स	सामान्य रूप से आवश्यक दवाईयों से भरा फर्स्ट एड मेडिकल बॉक्स डयूटी के दौरान बस में हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए।	
6.	पानी की एक बड़ी कैन	बस में डयूटी के दौरान साफ व ताजे पानी की एक बड़ी कैन हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए।	

10. बस ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बसें समुचित रूप से अच्छी, साफ–सुथरी, रोड पर सुरक्षित रूप से चल सकने वाली स्थिति में और आर.टी.ओ. / पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित सक्षम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के मानकों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। सभी बसें दिल्ली में सक्षम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा रजिस्टर्ड वाहन के रूप में चलने के लिए वैध परमिट सहित होनी चाहिए। ड्राईवर के पास हमेशा वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाईसेस होना चाहिए।

11. बस कोटा के अंतर्गत रजिस्ट्रर्ड बसें ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्राईवेट वाहन बसों के रूप में चलाने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे प्राईवेट वाहने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. बस कंडक्टर या महिला वालिंटयर को हमेशा बस में प्रतिदिन आने वाले बच्चों की सूची रखनी होगी और उसमें प्रतिदिन आने व लाने की उपस्थिति या अनुपस्थिति का विवरण नोट करना होगा। यह सूची रा.बा.भ. के सभी बस रूट्स से सम्बन्धित कर्मचारियों को दिखानी होग और उपलब्ध भी करानी होगी।

13. बस ऑपरेटर/ट्रांसपोर्टर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी बसों का प्रतिष्ठित एवं मान्यताप्राप्त बीमा कम्पनी से बीमा होना चाहिए।

14. टेंडर जमाकर्ता को अपने प्रस्ताव से पीछे हटने/छोड़ने या किसी प्रतिबंध एवं शर्त में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी भी स्थिति में यह पाया जाता है कि टेंडरर किसी नियम व प्रतिबंध का पालन नहीं कर रहा है,अपने उद्धित रेट से पर बस देने में पीछे हट रहा है तो ई.एम.डी./परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जब्त कर ली जायेगी। पिछली ई.एम.डी. या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को पुराने लंबित बिल का स्थानांतरण इस वर्तमान अनुबंध में करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति/टेंडरर की ओर से टेंडर या उसके किसी भाग पर हस्ताक्षर करता है तो उसके पास मूल टेंडरर की अथॉरिटी होनी चाहिए अन्यथा यह पाये जाने पर कि टेंडर या अनुबंध हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के पास टेंडर या अनुबंध हस्ताक्षरित करने की कोई अथॉरिटी नहीं है तो टेंडर या अनुबंध तुरन्त बिना किसी पूर्वाग्रह/पक्षपात के अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा और सिविल व अपराधिक लॉ इत्यादि के अनुसार इसके जुर्माने/लागत/डैमेज के भुगतान और अन्य परिणामों के लिए हस्ताक्षरकर्ता/टेंडरर जिम्मेदार होंगे।

16. निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन के पास बिना किसी कारण या नोटिस के सभी या किसी भी टेंडर को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और साथ ही वह किसी टेंडर विशेष या न्यूनतम रेट इत्यादि को स्वीकार करने के लिए भी बाध्य नहीं है। टेंडर पूर्णतः या पार्ट में स्वीकार किया/दिया जा सकता है। यदि पार्ट टेंडर स्वीकार किया जाता है तो टेंडरर को इसे स्वीकार करना होगा अन्यथा ई.एम.डी. जब्त कर ली जायेगी। इस बारे में निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन का निर्णय अंतिम वे मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

17. किसी भी नियम, शर्त एवं प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय बाल भवन के सक्षम प्राधिकारी को अनुबंध/अवार्ड पत्र/वर्क ऑंडर को बिना कोई कारण या नोटिस के रद्द करने का पूरा अधिकार है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय बाल भवन किसी राशि का भुगतान नहीं करेगा और प्रतिभूति सुरक्षा जमा राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

18. **जुर्माना/पैनल्टी :–** (क). टेंडर व अनुबंध के किसी भी नियम, शर्त एवं प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर एवं बस ऑपरेटर द्वारा मांगी गई संख्या में बसें न्यूनतम रेट पर उपलब्ध न करा सकने की स्थिति में सभी प्रकार के नुकसान एवं मार्किट से अन्य स्रोत से बस किराये पर लेने के अतिरिक्त चार्ज का भुगतान प्रोराटा आधार पर टेंडरर बस ऑपरेटर को स्वयं करना पड़ेगा या यह अतिरिक्त चार्ज उसके बिल में से काटा जायेगा या यह अतिरिक्त चार्ज प्रतिभूति सुरक्षा जमा राशि में से काटा जायेगा जो राष्ट्रीय बाल भवन को सात दिन के अंदर देय होगा।

(ख) बच्चों की सुरक्षा को देखते हुये प्रत्येक बस में एक पुरूष बस कंडक्टर और एक महिला वालिंटयर का होना अनिवार्य है। यदि किसी दिन या किसी एक अवसर पर टेंडरर बस ऑपरेटर द्वारा एक पुरूष बस कंडक्टर और एक महिला वालिंटयर या इनमें से किसी एक कर्मचारी के उपलब्ध न कराने पर प्रति व्यक्ति प्रति अवसर के आधार पर रू.500/–(रूपये पांच सौ केवल) का जुर्माना लगाया जायेगा जो टेंडरर बस ऑपरेटर के बिल से काटा जायेगा।

(ग). इस नियम व प्रतिबंध के अंतर्गत निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन की शक्तियां किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगी और उनके पास बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी अवसर विशेष पर अनुबंध को रद्द/निलंबित करने या क्लॉज 14 में वणित जमा राशि को जब्त करने की शक्ति विद्यमान है।

19. भुगतान की शर्तें : (क). भुगतान न एडवांस में किया जायेगा और न ही अनुबंध के अवार्ड पत्र के आधार पर न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन/ऋण के रूप में अनुसंशित किया जायेगा।

(ख). टेंडरर बस ऑपरेटर को मासिक भुगतान के मामलों में हर बार पिछले महीने का अपना बिल अगले महीने के प्रथम सप्ताह में देना होगा ताकि समय से बिल को पास होने एवं स्वीकृत होने की प्रक्रिया के बाद भुगतान किया जा सके। सभी भुगतान केवल आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के द्वारा किये जायेंगे।

(ग). निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन को ये अधिकार व छूट है कि वह किसी पेमेंट को पूरी या पार्ट/आंशिक रूप से पिछले पैरों में दिये गये किसी भी जुर्माने की वसूली के लिए रोक सके।

(घ). इस पैरे में ''पेमेंट'' टर्म में केचल वास्तविक आधार पर बस किराये पर लेने का अनुमोदित न्यूनतम रेट शामिल है। इसे अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल भवन अन्य चार्ज जैसे रख–रखाव चार्ज, मुआवजा इत्यादि शामिल नहीं हैं । ई.एम.डी एवं सुरक्षा जमा राशि अनुबंध के अन्य क्लॉजेज/शर्तों से शासित होगे।

20. नियम,शर्तों एवं प्रतिबंधों का उल्लंघन : किसी भी नियम,शर्तों एवं प्रतिबंधों का उल्लंघन के मामले में सक्षम प्राधिकारी को अनुबंध/वर्क ऑर्डर को बिना किसी कारण बताये रद्द करने का अधिकार है और ऐसे मामलों में राष्ट्रीय बाल भवन कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति सुरक्षा जमा राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

21. कार्य को साझा करना/किराये पर देना(**Subletting of Work**) : फर्म को अनुबंधित कार्य को किसी अन्य फर्म/व्यक्ति/पार्टी के साथ पूरा या पार्ट/आंशिक रूप से साझा करना/किराये पर नहीं देना चाहिए क्योंकि यह अनुबंध अहस्तांतरणीय(Non-transferable) है।

22. विवेचना (**Arbitration**) : यदि इस अनुबंध से सम्बन्धित कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उसकी व्याख्या इस प्रतिबंध के अंतर्गत की जायेगी ताकि पारस्परिक परामर्श व समझौते से सुलझाया जायेगा। यदि सभी प्रयासों/प्रयत्नों के बावजूद 30 दिन के अंदर कोई परिणाम नहीं निकल पाने पर कोई भी पार्टी एक दूसरे को सूचित करते हुये मतभेद पर विवेचना की स्थिति में राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा नियुक्त किये गये एकल विवेचक(**Sole Arbitrator**) द्वारा विवेचना एवं ......(Arbitration and Conciliation Act, 1996) और इसके अंतर्गत तैयार किये गये नियमों एवं प्रावधानों जो इस विवेचना की कार्यवाईयों पर लागू होंगे, के द्वारा किया जायेगा।

23. **तात्कालिक/शॉर्ट नोटिस/आदेश पर बसें सप्लाई करना** : कई अवसरों पर बसों की कम समय तात्कालिक/शॉर्ट नोटिस पर किराये पर लेने या बुक की हुई बस को रद्द करने आवश्यकता होती है। ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों में टेंडरर बस ऑपरेटर को शॉर्ट नोटिस पर किराये पर देने या बुक हुई बस को रद्द करने के लिए तैयार रहना होगा।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी नियमों शर्तों एवं प्रतिबंधों का पढ़कर व अध्ययन कर समझ लिया है जो मुझे/हमें स्वीकार्य हैं ।

दिनांक फर्म के मालिक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के मोहर सहित हस्ताक्षर :...

फर्म के मालिक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पूरा नाम, पता एवं :...

टेलिफोन और मोबाईल नम्बर ....

....

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002

संलग्नक –2

बसों की सप्लाई के लिए टेंडर के लिए आमंत्रित करने हेतु नोटिस

तकनीकी बिड/बोली

कम सं.	आवश्यक विवरण	टेंडरर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी	दी गई जानकारी का प्रमाण पृष्ठ संख्या सहित
1	ट्रैवलिंग एजेंसी के टेंडरर ट्रांसपोर्टर/मालिक का नाम, टेलिफोन व मोबाईल नम्बर एवं ई.मेल		
2.	ट्रैवलिंग एजेंसी का पूरा नाम		
3.	ट्रैवलिंग एजेंसी का पूरा पता टेलिफोन व मोबाईल नम्बर एवं ई.मेल सहित		
5	ट्रैवलिंग एजेंसी की स्थापना का वर्ष एवं सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट		
6	ट्रैवलिंग एजेंसी के प्राधिकृत प्रतिनिधि व हस्ताक्षरी जिसके द्वारा टेंडर की कार्यवाई की जायेगी, का पूरा नाम, टेलिफोन व मोबाईल नम्बर एवं ई.मेल मूल एजेंसी के लैटर हैड पर प्राधिकार पत्र (ORIGINAL AUTHORIZATION LETTER) जिसपर प्राधिकृत प्रतिनिधी हस्ताक्षरी की पहचान एवं हस्ताक्षर फर्म के मालिक के हस्ताक्षर एवं मोहर द्वारा सत्यापित हो, संलग्न करें		
7	पैन(Permanent Account Number(PAN)		
8	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फर्म का जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट		
10	क्या उपलब्ध कराई जाने वाली बसे सरकार से मान्यताप्राप्त बीमा एजेंसी से बीमाकृत(Insured) हैं।(प्रमाण संलग्न करें)		
11	एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस द्वारा जमा कराई गईरू.500/–(रूपये पांच सौ केवल) की जमानत राशि(Earnest Money Deposit(EMD) की संदर्भ संख्या दें।		

12.	एन.ई.एफ.टी. / आर.टी.जी.एस द्वारा जमा कराई गई रू.25,000 / –(रूपये पच्चीस हजार केवल) की जमानत राशि(Earnest Money Deposit(EMD) की संदर्भ संख्या दें।		

13.	आज तक के अनुबंधों का विवरण दें (सम्बन्धित फर्मों द्वारा जारी संतोषजनक कार्य सम्पादन प्रमाणपत्र दस्तावेजी प्रमाण के रूप में लगायें)		
क्रम सं.	पिछले और वर्तमान अनुबंधों का विवरण	अनुबंधों की अवधि	सरकारी / अर्ध–सरकारी / पी.एस.यू. / सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान / स्वायत्त संस्थान
14	Bank Details of Travelling Agency ट्रैवलिंग एजेंसी के बैंक एकाउंट का विवरण	Complete address of Bank- बैंक का पूरा नाम व पता : बैंक एकाउंट नम्बर : बैंक आई.एफ.एस.सी. कोड :	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दी सूचना पूरी तरह सत्य व सही और टेंडर दस्तावेज में वर्णित नियम, शर्तों एवं प्रतिबंधों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके समझ लिया है जो मुझे / हमें स्वीकार्य हैं और मैं / हम इनका पालन करेंगे। यह भी प्रमाणित एवं घोषित किया जाता है कि मैं / हम राष्ट्रीय बाल भवन को मेरे / हमारे द्वारा उद्धत / कोट किये न्यूनतम रेट पर परिवहन सेवायें उपलब्ध कराने व बसें चलाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।

दिनांक : प्राधिकृत प्रतिनिधि / हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर :.......................................

प्राधिकृत प्रतिनिधि / हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम, पदनाम:..

पूरा पता, मोबाईल नम्बर व ई–मेल ....

....

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002

संलग्नक –3

बसों की सप्लाई के लिए टेंडर के लिए आमंत्रित करने हेतु नोटिस

वित्तीय बिड/बोली

भाग–क : एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक आधार पर रेट

एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक आधार पर रेट 52 सीटर बसों के लिए रेट		
आवश्यकता	आवश्यक किलोमीटर एवं घंटे	सभी टेक्सों सहित उद्धित किया गया रेट
52 सीटर बसों के लिए	**8 घंटे या 80 किलोमीटर प्रतिदिन**	
अतिरिक्त घंटों के लिए चार्ज	**8 घंटो से उपर**	
अतिरिक्त किलोमीटर के लिए चार्ज	**80 किलोमीटर से उपर**	
रात्रि डयूटी के लिए चार्ज	--	

एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक आधार पर रेट 52 सीटर बसों के लिए रेट		
आवश्यकता	आवश्यक किलोमीटर एवं घंटे	सभी टेक्सों सहित उद्धित किया गया रेट
52 सीटर बसों के लिए	4 घंटे या 40 किलोमीटर प्रतिदिन	
अतिरिक्त घंटों के लिए चार्ज	4 घंटो से उपर	
अतिरिक्त किलोमीटर के लिए चार्ज	40 किलोमीटर से उपर	
रात्रि डयूटी के लिए चार्ज	--	

एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक आधार पर रेट 32 सीटर बसों के लिए रेट		
आवश्यकता	आवश्यक किलोमीटर एवं घंटे	सभी टेक्सों सहित उद्धित किया गया रेट
32 सीटर बसों के लिए	8 घंटे या 80 किलोमीटर प्रतिदिन	
अतिरिक्त घंटों के लिए चार्ज	8 घंटो से उपर	
अतिरिक्त किलोमीटर के लिए चार्ज	80 किलोमीटर से उपर	
रात्रि डयूटी के लिए चार्ज	--	

एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक आधार पर रेट 32 सीटर बसों के लिए रेट		
आवश्यकता	आवश्यक किलोमीटर एवं घंटे	सभी टेक्सों सहित उद्धित किया गया रेट
32 सीटर बसों के लिए	4 घंटे या 40 किलोमीटर प्रतिदिन	
अतिरिक्त घंटों के लिए चार्ज	4 घंटो से उपर	
अतिरिक्त किलोमीटर के लिए चार्ज	40 किलोमीटर से उपर	
रात्रि डयूटी के लिए चार्ज	--	

भाग–ख : एक वर्ष की अवधि के लिए दिन–दैनिक(आकस्मिक / कैज्युअल डयूटीज के लिए) आधार पर रेट

एक वर्ष की अवधि के लिए दिन–दैनिक(आकस्मिक / कैज्युअल डयूटीज के लिए) आधार पर 52 सीटर बसों रेट		
आवश्यकता	**आवश्यक किलोमीटर एवं घंटे**	**सभी टेक्सों सहित उद्धित किया गया रेट**
52 सीटर बसों के लिए	8 घंटे या 80 किलोमीटर प्रतिदिन	
अतिरिक्त घंटों के लिए चार्ज	8 घंटो से उपर	
अतिरिक्त किलोमीटर के लिए चार्ज	80 किलोमीटर से उपर	
रात्रि डयूटी के लिए चार्ज	--	

एक वर्ष की अवधि के लिए दिन–दैनिक(आकस्मिक / कैज्युअल डयूटीज के लिए) आधार पर 52 सीटर बसों रेट		
आवश्यकता	**आवश्यक किलोमीटर एवं घंटे**	**सभी टेक्सों सहित उद्धित किया गया रेट**
52 सीटर बसों के लिए	4 घंटे या 40 किलोमीटर प्रतिदिन	
अतिरिक्त घंटों के लिए चार्ज	4 घंटो से उपर	
अतिरिक्त किलोमीटर के लिए चार्ज	40 किलोमीटर से उपर	
रात्रि डयूटी के लिए चार्ज	--	

एक वर्ष की अवधि के लिए दिन–दैनिक(आकस्मिक / कैज्युअल डयूटीज के लिए) आधार पर 32 सीटर बसों रेट		
आवश्यकता	**आवश्यक किलोमीटर एवं घंटे**	**सभी टेक्सों सहित उद्धित किया गया रेट**
32 सीटर बसों के लिए	8 घंटे या 80 किलोमीटर प्रतिदिन	
अतिरिक्त घंटों के लिए चार्ज	8 घंटो से उपर	
अतिरिक्त किलोमीटर के लिए चार्ज	80 किलोमीटर से उपर	
रात्रि डयूटी के लिए चार्ज	--	

एक वर्ष की अवधि के लिए दिन–दैनिक(आकस्मिक / कैज्युअल डयूटीज के लिए) आधार पर 32 सीटर बसों रेट		
आवश्यकता	**आवश्यक किलोमीटर एवं घंटे**	**सभी टेक्सों सहित उद्धित किया गया रेट**
32 सीटर बसों के लिए	4 घंटे या 40 किलोमीटर प्रतिदिन	
अतिरिक्त घंटों के लिए चार्ज	4 घंटो से उपर	
अतिरिक्त किलोमीटर के लिए चार्ज	40 किलोमीटर से उपर	
रात्रि डयूटी के लिए चार्ज	--	

दिनांक :

प्राधिकृत प्रतिनिधि / हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर :..

प्राधिकृत प्रतिनिधि / हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम, पदनामः..

पूरा पता, मोबाईल नम्बर व ई–मेल ....

....

Signature & seal/stamp of owner/authorized signatory :………………………………………………

Full Name) in Capital Letters) of owner/authorized signatory:……………………………………..

Complete Address with Telephone Numbers of Firm :………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………..

Date :

Place :